

मानक षट्

(वन अनुभाग-3, उपरोक्त शासन की पत्र संख्या 7314 / 14-3-1980 / 82
दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में काई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
 - प्रब्लेम का प्रयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हतु कदापि नहीं।
 - याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विषेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
 - भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिष्ठित कर लिया जाय कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा उसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
 - हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किया जाने पर संबन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
 - भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस संबन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
 - हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को काई आपत्ति नहीं होगी।
 - बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं को भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा संभव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ण एवं जन्तुओं के विचरण की व्यवस्था सुनिष्ठित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
 - सिंचाई/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों / पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
 - याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भवि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि आवध्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन की आवध्यकता याचक विभाग को भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
 - सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर “एलाइनमेन्ट” तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी को संबोधित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.2.1982 में निहित आदेषों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि आषय मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेर बदलकर पक्का करना होगा, जायेगा कि आषय मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेर बदलकर पक्का करना होगा और नई सड़क का निर्माण ही बष्टे ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवध्यक है।
 - वन भूमि का मूल्य संबन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य संबन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
 - वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य

(कन्हैया परले)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उसका पतन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बौच () के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा संभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्बों को ऊँचा करें उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान भी अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निष्चित की जायेगी। जिसपर संबन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन अनिवार्य है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की संभावना होती है, और नहर की दोनों पटरियों को पकड़ा करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय स्वयं करायेगा।
17. उपलिखित मानक घर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विषिष्ट प्रकरण में कोई अन्य घर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।
18. वन विभाग का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाय, जब उक्त घर्तों को पूरा पालन कर लिया जाय। श्श श

मैं प्रभाष कुमार, प्रबन्धक, टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद यह प्रमाणित करता हूँ कि मुझे उपरोक्त उल्लिखित सभी घर्त मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।


 (प्रभाष कुमार),
 प्रबन्धक,
 टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
 मुरादाबाद।

16/21
 (कन्हैया पटेल)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मुरादाबाद